

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
मंत्रालय, भोपाल  
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 4-10-2014

क्रमांक एफ 16-10/2014/बी-ग्यारह निर्णय लिया गया कि मेसर्स एचईजी लिमिटेड, मण्डीदीप, जिला रायसेन की विस्तार परियोजना अंतर्गत केप्टिव पावर प्लांट पर किए गए निवेश को प्रवेश कर से छूट हेतु विस्तार परियोजना का भाग मान्य करने संबंधी अभ्यावेदन को विचारोपरांत अमान्य किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 4-10-2014

क्रमांक एफ 16-10/2014/बी-ग्यारह  
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/उर्जा विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि, भोपाल।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला रायसेन।
7. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि., भोपाल।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप।
10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स एचईजी लि., औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला रायसेन - 462046 म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग